राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 31 अंक 10 अक्तूबर 2010 नई दिल्ली मूल्य 5 रु. पृष्ठ 28

राम मन्दिर था और राम मन्दिर ही रहेगा

शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ संघर्ष का आह्वान

अभाविप के देशभर के विजयी छात्रसंघ प्रतिनिधि विजय की मुद्रा में

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता सम्मेलन में उपस्थित छात्र संघ पदाधिकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर एवं उपस्थित छात्र संघ प्रतिभागी

हरियाणा में शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में रैली में उपस्थित छात्र कार्यकर्ता

चंडीगढ़ (हरियाणा) में विधानसभा के घेराव में छात्रों पर पुलिस बर्बरता के विरोध में धरने पर बैठे प्रांत संगठन मंत्री श्रीनिवास एवं अन्य कार्यकर्ता

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक:
आशुतोष

❁

सम्पादक मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

❁

फोन : 011-43098248
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

❁

मुद्रक और प्रकाशक राजकुमार शर्मा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट कैम्पस, यूनिवर्सिटी एरिया, दिल्ली-110007 के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के.30 नवीन शहादरा, दिल्ली. 32 द्वारा मुद्रित

अनुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृ.सं.
सम्पादकीय : संवाद का नया सोपान		4
श्रीराम जन्मभूमि विवाद : समाधान की ओर एक कदम		6
अभाविप ने देशभर में किया विजय का शंखनाद		10
शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन		11
स्वायत्तता के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन		12
कर्नाटक : गैर शिक्षक स्टाफ की भर्ती में धांधली के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन		13
सत्व के प्रकाशतत्व का विकास शिक्षा का ध्येय		14
भ्रष्टमंडल खेल बना राष्ट्र की अस्मिता	-अवनीश सिंह	16
विदेशी शिक्षा संस्थानों का आगमन, उनकी आवश्यकता व उभरे हुए मुद्दे	-प्रो. मिलिन्द मराठे	17
बौद्धिक नेतृत्व में कमी और पलायन		20
विवेकानंद के 150 वर्ष	सुनील आंबेकर	23
भगिनी निवेदिता		25
पुस्तक समीक्षा		26

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

संवाद का नया सोपान

श्रीरामजन्मभूमि के मुकदमे का बहुप्रतीक्षित फैसला गत 30 सितम्बर को सुनाया गया। निर्णय के अनुसार जिस स्थान पर आज श्रीरामलला विराजमान हैं वहीं श्रीराम का जन्मस्थान है। इसके लिए विद्वान न्यायाधीशों ने आस्था को आधार बनाया है। एक दृष्टि से यह देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था की जीत है।

फैसले की न्यायिक समीक्षा सम्बंधित पक्ष और न्यायवेत्ता करेंगे, यदि कोई भी पक्ष इस फैसले से असंतुष्ट होकर सर्वोच्च न्यायालय में गया तो वहां भी इसकी संवैधानिक समीक्षा होगी। किन्तु चार दशक से अधिक तक जिला न्यायालय और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में चले इस विवाद के समाधान का आधार जनश्रुति और लोक आस्था ही बनी, यह निर्विवाद है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दो दशक पहले जब रामजन्मभूमि का आन्दोलन चरम पर था, तब भी इसे आस्था का प्रश्न मानते हुए हल करने की मांग की थी। 1992 में लखनऊ में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। परिषद ने मुस्लिम समाज से भी अनुरोध किया था कि वह इस मुद्दे पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का आदर करे तथा स्वेच्छा से वह स्थान हिन्दुओं को सौंप दे तो देश में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट किया जा सकेगा।

दुर्भाग्य से छद्‌मधर्मनिरपेक्ष नेताओं ने इस मुद्‌दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकीं और इस मुद्दे पर दोनों समुदायों के बीच सहमति बनने में विघ्न-बाधाएं उपस्थित करते रहे। तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों क्रमशः स्व. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर तथा नरसिम्हाराव के कार्यकाल में वार्ता की पहल की गयी किन्तु क्षुद्र राजनीति के चलते वार्ता सिरे चढ़ने से पहले ही प्रयास दम तोड़ गये।

आस्था के प्रश्न सद्‌भाव से ही हल हो सकते हैं। चुनौती भरे स्वर ओर धमकी भरे नारे इनका हल नहीं सुझाते बल्कि वातावरण में विष घोलते हैं। 1989 में तत्कालीन सत्ता द्वारा अयोध्या में परिंदे को पर भी न मारने देने की चुनौती और शांतिपूर्ण ढंग से कारसेवा के लिए तत्पर रामभक्तों पर गोली चलाकर वातावरण को इतना विषाक्त बना दिया कि दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली के प्रयास

फलीभूत न हो सके। परिणामस्वरूप सौमनस्य का जो वातावरण आज बनता दिख रहा है वह तब से दो दशक दूर हो गया। इन दो दशकों में सभी राजनैतिक दल सत्ता में रह चुके हैं और समाज ने उन सभी की परख कर ली है। मुस्लिम समुदाय के बीच से आज जो मस्जिद से अपना दावा छोड़ने, यहां तक कि श्रीराममंदिर के निर्माण के लिए सहयोग करने तथा विवाद को यहीं विराम देने की जो पहल सामने आयी है वह जहां एक ओर 6 दिसम्बर 1992 के प्रेत को हमेशा के लिए दफना देने की कोशिश है वही क्षुद्र स्वार्थ वाली अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर कठोर टिप्पणी है।

आज बात की जा रही है कि इन दो दशकों में सरयू में बहुत पानी बह गया है। किन्तु बहते पानी के साथ समय बहता है, आस्था नहीं। आस्था की जड़ें संस्कृति की भूमि में गहरे तक पैठती हैं। भातर जैसे देश में बसने वाले लोगों की आस्था उनकी पांथिक दूरियों से बंटती नहीं। साझा पूर्वजों की राख से जुड़कर उनकी आस्था की जड़ें धरातल के नीचे कहां जा कर एकमेक हो जाती हैं, यह वही समझ सकता है जो देश की संस्कृति को अपने अंदर जीता है।

दो दशक बाद एक बार पुनः यह अवसर आया है कि व्यापक राष्ट्रीय हित में सभी पक्ष एक साथ मिल बैठ कर सर्वसम्मति से श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का निर्णय करें। भ्रम अथवा विवाद का बिन्दु वह गर्भगृह था जिसके संदर्भ में उच्च न्यायालय अपना फैसला पहले ही सुना चुका है। उपासना स्थल के रूप में स्थानीय नागरिकों को यदि मस्जिद की आवश्यकता अनुभव होती है तो कुछ दूर हट कर उसका निर्माण किया जा सकता है। किन्तु इसमें यह समझदारी दिखानी आवश्यक है कि दोनों उपासना स्थलों के बीच इतनी दूरी अवश्य रहे ताकि दोनों समुदायों के मध्य आज उत्पन्न सौहार्द भविष्य में भी किसी की ओछी राजनीति अथवा कट्टरता का शिकार न बन सके।

एक उत्तरदायी संगठन के रूप में अभाविप का स्पष्ट मत है कि श्रीरामजन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर न केवल राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करेगा अपितु तुष्टीकरण के नाम पर क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के कुत्सित खेल पर भी विराम लगा सकेगा। राष्ट्रीय समाज के रूप में भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर सुलभ हो तथा परस्पर सहयोग के आधार पर भारत विश्वशक्ति बने, इसके लिए सामाजिक सौहार्द पहली शर्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय ने यह स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया है। अपने सभी मतभेद भुलाकर यदि सभी समुदाय साथ आते हैं तो यह राम मंदिर के साथ ही राष्ट्रमंदिर की स्थापना का पर्व बनेगा। संवाद का यह सोपान समृद्धि के शिखर पर आधारशिला बनेगा यह विश्वास है।

■

श्रीराम जन्मभूमि विवाद : समाधान की ओर एक कदम

श्रीराम जन्मभूमि के स्वामित्व विवाद का मामला 60 वर्षों की लंबी अदालती लड़ाई के बाद इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसके मुख्य बिन्दुओं के आधार पर इस विवादित मामले का उत्तर खोजा जा सके। एक तरफ जहां हिन्दू समाज इसे अनादि काल से अपने आस्था के केन्द्र के रूप में मानता आया है। वहीं दूसरी तरफ, उस स्थान पर बने ढ़ांचे पर लगे शिलालेख के अनुसार मुस्लिम समाज इसे बाबरी मस्जिद मानता है।

हिन्दू मानता है कि श्रीराम मंदिर को तोड़कर आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीरबाकी ने बाबर के कहने पर 1528 ई. में बनवाया। क्रूर आक्रांता बाबर के इस कुकृत्य के चलते हिन्दू समाज के माथे पर लगे पराजय के कलंक को धोने तथा श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के पुनर्निर्माण तथा आस्था की रक्षा के लिए हिन्दू समाज सदैव तत्पर रहा। 1528 ई. से लेकर आज तक इस स्थान को प्राप्त करने के लिए 76 बार युद्ध हुए। इन सभी संघर्षों में साढ़े तीन लाख से अधिक रामभक्तों ने अपना सर्वस्व समर्पण कर प्राणों की आहुतियां दीं।

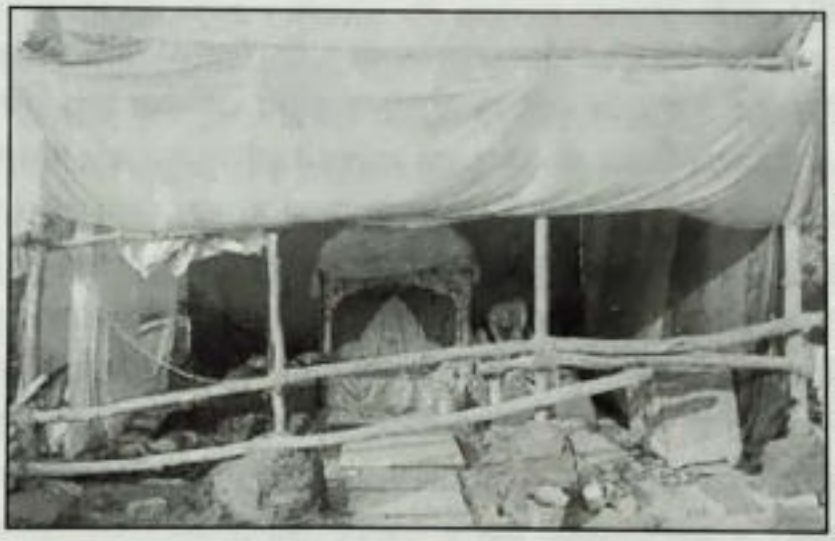

हिन्दुस्तान के धार्मिक-सांस्कृतिक इतिहास में अयोध्या का सदैव ही श्रद्धास्पद, गौरवपूर्ण एवं पवित्र नगरी के रूप में महत्व रहा है जो आज भी उसी प्रकार से प्रचलित व मान्य है। माना जाता है 23 दिसम्बर 1949 को ब्रह्म मुहूर्त में ढांचे की मध्य गुंबद के नीचे एक अलौकिक प्रकाश के साथ रामलला के प्रकट होने की चमत्कारिक घटना घटित हो गयी और अयोध्या के नगरवासियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। सभी नर-नारी अपने प्रभु श्रीराम के बालरूप का दर्शन करने को आतुर हो उठे। मानो पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गयी। उस समय श्रीगोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, छह दिन बाद सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया जिसके विरुद्ध गोपाल सिंह विशारद और महंत रामचन्द्रदास परमहंस ने न्यायालय में अपील की।

संतों के नेतृत्व में ताले को खुलवाने के लिए 23 सितम्बर 1984 से श्रीराम जानकी रथयात्र प्रारंभ की गई। देशभर में जनजागरण अभियान चला। परिणामस्वरूप 1 फरवरी 1986 को मंदिर पर लगा ताला खोल दिया गया।

श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिये शिला पूजन व शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ। इसी क्रम में 1 सितम्बर 1990 को अयोध्या में अरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई। इसे राम ज्योति कहा गया। दीपावली 18 अक्टूबर 1990 के पूर्व देश के लाखों गांवों में यह ज्योति पहुंचा दी गई।

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अहंकारपूर्ण घोषणा की कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके मद्देनजर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिर भी राम भक्तों ने 30 अक्टूबर को विवादित ढांचे पर चढ़कर झण्डा गाड़ दिया। 2 नवम्बर को पुन: कारसेवा शुरु हुई। सरकार के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे कारसेवकों पर बेरहमी से गोलियां चलाई। इस काण्ड में अनेक

कारसेवक शहीद हो गए। राम मंदिर निर्माण के लिये कलकत्ता से कारसेवा करने आये कोठारी बंधुओं को घर से बाहर खींच कर निर्ममतापूर्वक गोली मार दी गई। सारे देश में इस प्रकरण के विरोध में रोष छा गया। इस घटना के परिणामस्वरूप अयोध्या में 40 दिनों तक सत्याग्रह चला, साथ ही साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का पतन हो गया।

इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1992 में कानपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रीरामजन्मभूमि से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानते हुए इसके माध्यम से समाज में जन-जागरण के कार्य में भी सहभागी बनी।

30 अक्टूबर 1992 को नई दिल्ली में आयोजित धर्मसंसद में संतों ने 6 दिसम्बर को पुन: कारसेवा प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। फिर क्या था... रच गया इतिहास, ढह गया ढांचा और मिट गया माथे का कलंक। 6 दिसम्बर 1992 की घटना इस सतत संघर्ष की ही अंतिम परिणति है, जब गुलामी का प्रतीक तीन गुंबदों वाला मस्जिद जैसा ढांचा ढह गया और श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया।

विवादित ढांचा जहां स्थित था वहां मिट्टी और गारे की दीवारें खड़ी कर एक अस्थायी मंदिर का निर्माण कर रामलला के विग्रह को एक सिंहासन पर विराजमान कर पूजा-अर्चना शुरू कर दी गई। तब से इस अस्थायी मंदिर में पुजारी को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई। किंतु 7 जनवरी 1993 को भारत सरकार ने इस संपूर्ण परिसर को चारों ओर से घेर कर लगभग 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया।

भारत में वर्तमान न्याय व्यवस्था कायम होने के साथ ही यह विवाद किसी न किसी रूप में न्यायालय के समक्ष बना रहा, किन्तु इस पर अंतिम निर्णय न हो सका। स्वतंत्र भारत में यह संभवत: सबसे लंबा चलने वाला मुकदमा बन चुका है, जो साठ साल में भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा। साहित्य की भाषा में कहें तो इस मुकदमे ने भारत के संविधान को अपने सामने जन्म लेते देखा है।

वर्ष 1949 से जारी इस मुकदमे में तमाम दावे पेश किए गए, तमाम जिरह हुई। अपने दावे के पक्ष में हिंदुओं ने 54 और मुस्लिम पक्ष ने 34 गवाह पेश किए। इनमें धार्मिक विद्वान, इतिहासकार और पुरातत्व के जानकार शामिल हैं।

नव-स्वतंत्र भारत में अयोध्या विवाद पर एक दृष्टि

22-23 दिसंबर, 1949 की मध्यरात्रि अयोध्या में विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे रामलला के प्रकट होने की घटना के बाद 29 दिसम्बर 1949 को सिटी मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत ढांचे के भीतरी परिसर को कुर्क करके अयोध्या नगर पालिका के अध्यक्ष बाबू प्रियदत्तराम को उसके अन्दर चल रही पूजा अर्चना के संचालन के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया और रिसीवर का कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे ढांचे के मध्य गुम्बद के नीचे विराजित भगवान श्रीरामलला के विग्रहों की पूजा व भोग की व्यवस्था करेंगे। मुख्य द्वार को सींखचों से बन्द करके ताला डाल दिया गया।

16 जनवरी, 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की जिला अदालत में रामलला की पूजा अर्चना करने के अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। फैजाबाद के तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश एन.एन. चन्द्रा ने इसकी इजाजत दे दी।

वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़े ने रिसीवर की व्यवस्था समाप्त कर विवादित स्थल को उसे सौंपने के लिए फैजाबाद की ही जिला अदालत में मुकदमा दायर किया।

वर्ष 1961 में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और मोहम्मद हाशिम अंसारी समेत आठ अन्य मुस्लिमों ने विवादित धर्मस्थल को मस्जिद घोषित करने और रामलला की मूर्ति हटाने के लिए वाद दायर किया। लगभग इसी समय 13 अन्य मुस्लिमों ने इसे रामजन्मभूमि मानते हुए इस पर अपना दावा छोड़ने संबंधी शपथ पत्र भी दिया।

वर्ष 1989 में देवकी नन्दन अग्रवाल भी इस मामले से जुड़ गये और उन्होंने विवादित धर्मस्थल को रामलला विराजमान की सम्पत्ति घोषित करने की याचिका उच्च

न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की।

मामले के शीघ्र निपटारे के लिए केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य के महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 10 जुलाई, 1989 के द्वारा प्रथम चार मुकदमें मौलिक व सामूहिक सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित करा लिए।

6 दिसम्बर 1992 को रामभक्तों द्वारा विवादित ढांचा ध्वस्त कर वहां की प्रमुख देवमूर्ति श्रीरामलला विराजमान की अस्थाई मंदिर में स्थापना कर दिये जाने के बाद भारत सरकार ने 7 जनवरी 1993 को एक अध्यादेश जारी कर भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इसी दिन राष्ट्रपति महोदय ने इस प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद से अपने को दूर रखते हुए प्रश्नों को बिना उत्तर दिए वापस कर दिया।

प्रसिद्ध इस्माइल फारूखी मामले में निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के अंतर्गत विवादित ढांचे के स्थान वाली 2.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को अवैध बताते हुए इस सम्बंध में दायर किए गए मुकदमें की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए। यह मामला 16 वर्षों तक चलता रहा। लगभग 6 वर्ष तक प्रतिदिन सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और सैकड़ों गवाहियां हुईं।

न्यायालय ने पांच मार्च 2003 को अधिग्रहीत परिसर में पुरातात्विक खुदाई के आदेश दिये। खुदाई 12 मार्च से 7 अगस्त 2003 तक चली। उसी वर्ष 22 अगस्त को पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी।

रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन मूर्तियों और कसौटी के पत्थरों के अवशेष मिले हैं। 26 जुलाई, 2010 को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई।

फैसले पर रोक लगाने और बातचीत से मसले का हल निकालने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त नौकरशाह रमेश चन्द्र त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की। 17 सितम्बर 2010 को उच्च न्यायालय ने त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी।

त्रिपाठी ने इसी आशय की याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की। 28 सितम्बर को शीर्ष अदालत में भी उनकी याचिका खारिज हो गई। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को मामले के फैसले पर लगी रोक हटा ली। उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाया।

इस मामले में न्यायालय ने मुख्य रूप से चार बिन्दुओं को संज्ञान में लेकर अपना निर्णय सुनाया है। पहला विवादित धर्मस्थल पर मालिकाना हक किसका है। दूसरा श्रीराम जन्मभूमि वहीं है या नहीं। तीसरा क्या 1528 में मन्दिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी और चौथा यदि ऐसा है तो यह इस्लाम की परम्पराओं के खिलाफ है या नहीं।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। मामले का फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय विशेष पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. यू. खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने कहा कि जमीन का तीन हिस्सों में बंटवारा किया जाए। जहां रामलला विराजमान हैं वह हिस्सा हिन्दुओं को तथा राम चबूतरा तथा सीता रसोई सहित एक तिहाई निर्मोही अखाड़े को और शेष तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।

यद्यपि अनेक ओर से इस विवाद को यहीं समाप्त करने और सौहार्द बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को अप्रत्यक्ष रूप समर्थन करने वाले वामपंथी बुद्धिजीवी और इतिहासकार इस फैसले से खासे विचलित हैं। उनकी कोशिश है कि यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाये। सभी पक्षों के पास संतुष्ट न होने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प उपलब्ध है किन्तु वहां पुनः यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि आस्था के प्रश्न पर न्यायालय का निर्णय कितना प्रभावी हो सकेगा।

■ अवनीश सिंह

अयोध्या निर्णय भारत की आस्था का अनुमोदन : मोहन भागवत

श्रीराम जन्मभूमि को लेकर चलते आये न्यायिक विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम तथा उनकी जन्मभूमि अयोध्या के प्रति भारत के जनमानस की सनातन आस्था को अनुमोदित व सम्मानित किया है।

मंदिर का निर्माण इस देश की पहचान, अस्मिता, तथा विजिगीषा का गौरव हैं। भारतवर्ष की सनातन, सर्वसमावेशक, सबके प्रति आत्मीय व सहिष्णु संस्कृति के आचरण की मर्यादा के मानक श्रीराम है। मंदिर निर्माण का आंदोलन किसी वर्ग विशेष के विरोध अथवा प्रतिक्रिया में नहीं है।

अतएव श्रीराम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने वाले न्यायालय के इस निर्णय को समाज के किसी वर्ग की विजय अथवा पराजय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।

इसलिये इस अवसर पर देश के सभी मुसलमानों सहित समाज के सभी वर्गों से हमारा हार्दिक तथा आत्मीयतापूर्ण आह्वान है कि गत् दशकों से चले आ रहे विवादों की कटुता और हृदयों की विषमता को भुलाकर न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुये श्रीराम जन्मभूमि पर श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण की संवैधानिक व व्यावहारिक व्यवस्थाएं निर्माण करने के अभियान में मिलजुलकर सहयोगी बनें। ■

अयोध्या निर्णय ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य -विष्णुदत्त शर्मा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा श्रीरामजन्मभूमि अयोध्या के सन्दर्भ में घोषित निर्णय ऐतिहासिक एव स्वागत योग्य है। काफी लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का इस निर्णय ने अंत किया है तथा करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का सम्मान करते हुए विवादित भूमि को श्रीराम की जन्म भूमि स्वीकार किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् मानती है कि इसे हार या जीत न मानते हुए इसे भारत के सभी मत-संप्रदाय के लोग सहर्ष स्वीकार करें एवं शांति बनाये रखें।

भगवान राम केवल हिन्दुओं के पूज्य देवता ही नहीं अपितु भारतीय जीवन मूल्य की सांस्कृतिक पहचान हैं। श्रीराम जन्मभूमि पर भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर निर्माण संपूर्ण समाज के लिये गौरव योग्य है। अभाविप इस निर्णय को एक नए युग की शुरूआत मानती है, तथा देश के सभी युवाओं से भव्य मंदिर के निर्माण के अभियान में सहयोगी बनने का आह्वान करती है।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अम्बेकर सहित सभी पदाधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

■

अभाविप ने देशभर में किया विजय का शंखनाद

नई दिल्ली : देशभर में हुए छात्रसंघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को मिली सफलता के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में छात्र नेता सम्मेलन का 14 सितम्बर को आयोजन किया। इस छात्र नेता सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, उत्तरांचल समेत जिन प्रदेशों में छात्रसंघ चुनाव हुए वहां के विजयी प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष प्रिया डबास, सचिव नीतू डबास, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष यादव, उपाध्यक्ष मीनाक्षी मीणा, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष समेत 45 छात्र संघ पदाधिकारियों ने सम्मेलन में सहभागिता की।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने कहा कि छात्रसंघ चुनावों में अभाविप को मिली जीत ने यह साबित कर दिया है कि देश का असली युवा नेतृत्व किसके साथ खड़ा है।

इसके पश्चात् राष्ट्रीय महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि देश की युवा शक्ति ने केन्द्र सरकार की नक्सलवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा का व्यापारीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों के बिल और भ्रष्टाचार की नीतियों पर रोष व्यक्त करते हुए विद्यार्थी परिषद की मान्यता को पुनः सही ठहराया है।

श्री शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लिंगदोह समिति में और सुधार करके प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव अनिवार्य रूप से करवाये जायें। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर 'ऑल इण्डिया स्टूडेंट एक्ट' भी बनाया जाये।

सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ने बताया कि वर्ष 2006 में मैं जब विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो मैने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन विद्यार्थी परिषद की ओर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यह विश्वास मन में था कि जब संगठन ने मौका दिया है तो जरूर जीतूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास स्वयं से भी ज्यादा संगठन की कार्यशैली पर था।

डूसू अध्यक्ष ने बताया कि संगठन ने इस बार जो काम किया वो चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि छात्रों को सच्चाई से वाकिफ कराने के लिये और यह अपील की कि वह स्वयं सही विकल्प को चुनें। चुनावों में मिली जीत ने यह साबित कर दिया कि सही कौन है और गलत कौन। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद की यही पहचान उसे अन्य छात्र संगठनों से अलग करती है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव ने इस विजय को छात्र हितों के संघर्ष की जीत बतायी।

छात्र नेता सम्मेलन के पश्चात् अ.भा.वि.प. द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णु दत्त शर्मा के साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अ.भा. विद्यार्थी परिषद के विजयी छात्र संघ प्रतिनिधि भी शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि सम्मेलन से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा इस अवसर पर तीन रैलियों का आयोजन किया गया। जो विवेकानंद प्रतिमा पर आकर मिली इससे पूरा विश्वविद्यालय परिसर अभाविप के नारों से गुंजायमान हो गया।

■

शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में देशभर में विरोध-प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया। देशभर के प्रत्येक महानगर एवं जिला इकाईयों में परिषद कार्यकर्ताओं ने एक घंटे तक चक्का-जाम किया।

राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के संदर्भ में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यह आन्दोलन शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरूद्ध खड़ा किया गया जनांदोलन है जिसे पूरे देश के लोगों ने अपना समर्थन देकर सफल बनाया है। श्री शर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी चक्का जाम हेतु विद्यार्थी परिषद् ने सभी राज्यों के प्रशासनिक सूचना तंत्रों को इस विषय से पहले ही अवगत करा दिया था। इसके बावजूद मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की घटनाएं अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

राजस्थान राज्य में व्यापारीकरण के विरोध में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने श्रीकरणपुर रोड, हिंदुमलकोट, अबोहर रोड व हनुमानगढ़ रोड पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन की अगुवाई राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश गोदारा, एम. डी. महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश कोकड़ा, उपाध्यक्ष सुशील कुमार व शिवराज मीणा ने किया।

कर्नाटक राज्य में शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन किया। राजधानी बंगलुरू में अभाविप के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए भुवनेश्वरी सर्किल पर जमा हुए। जहां इस प्रदर्शन में छात्र शिक्षा नीतियों में गरीब छात्रों के साथ हो रही अनदेखी का विरोध कर रहे थे वहीं केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे थे।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि केन्द्र सरकार की शैक्षिक नीतियों में शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण हजारों निर्धन छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभाविप के जिला संयोजक एच. एम. मेधोश, जिला सचिव केदारनाथ और अन्य कार्यकर्ताओं ने उक्त संदर्भ में अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा।

झारखण्ड राज्य में अभाविप के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने करीब दो घंटे तक कई प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से जाम कर दिया।

कांटाटोली, शहीद चौक, सर्कुलर रोड, अल्बर्ट एक्का रोड पर अभाविप कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ■

स्वायत्तता के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन

जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर की स्वायत्तता के प्रस्ताव पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू में प्रदर्शन किया।

अभाविप के नगर अध्यक्ष अजय शर्मा ने स्वायत्तता के प्रस्ताव को हास्यास्पद बताते हुये कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यहां स्वायत्तता की चर्चा भी निराधार है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता में विश्वास रखने से ही राज्य में शांति, कल्याण, प्रगति और विकास संभव है।

उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की स्वाभाविक समस्याओं के समाधान ढूढ़ने के बजाए, लोगों का ध्यान स्वायत्तता जैसे व्यर्थ के मुद्दे पर खींच रहे हैं।

प्रदीप शर्मा और राघव के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने जीजीएम साइंस कॉलेज में यह प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने **'देश बचालो मौका है, अटॉनमी एक धोखा है'** के नारे लगाए।

छात्रों को संबोधित करते हुए नसीब अली ने कहा कि जम्मू और लद्दाख के लोगों की राय लिये बिना ही राज्य सरकार अपनी नीतियां तय कर रही है। प्रदर्शन के उपरांत अ.भा. विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर इस संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा।

दिल्ली। कश्मीर की स्वायत्तता के विरोध में जंतर-मंतर पर अभाविप के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत अभाविप ने प्रधानमंत्री के नाम कश्मीर की स्वायत्तता के विरोध में ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रांत संगठन मंत्री श्री योगेन्द्र पयासी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष प्रिया डबास समेत लगभग 400 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ■

कर्नाटक : गैर शिक्षक स्टाफ की भर्ती में धांधली के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन

बीजापुर। 29 सितम्बर। कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय के छात्रों ने अभाविप के साथ मिलकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर गैर-शिक्षक स्टाफ की भर्ती में की गई धांधली के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। इस विरोध-प्रदर्शन में छात्रों ने पूर्व उपकुलपति सईदा अख्तर और राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए और यह आरोप भी लगया कि सरकार पूर्व उप कुलपति को बचाने के लिए जानबूझकर वैंकट मूर्ती कमीशन की रिपोर्ट को भी उजागर नहीं कर रही है।

विद्यार्थी परिषद ने कहा कि उप-कुलपति ने इस विश्वविद्यालय में महिलाओं का उत्थान करने के बजाए, विश्वविद्यालय के फण्ड्स का दुरपयोग किया है। इससे विश्वविद्यालय के विकास कार्यों को भी नुकसान हुआ है, और विश्वविद्यालय की छवि को भी बट्टा लगा है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार और राज्यपाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते हैं, और दोषी उप-कुलपति के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे।

आन्दोलित छात्रों ने यह मांग भी की कि उप कुलपति सईदा अख्तर के कार्यकाल में गैर-शिक्षक स्टाफ में जिनकी नियुक्ति की गई है, उसे निरस्त किया जाए और उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर नई भर्ती की जाए। आन्दोलित छात्रों ने उपायुक्त एस.एस. पट्टनशेट्टी के माध्यम से मुख्यमंत्री बी.एस. येद्दीयुरप्पा को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें कहा गया कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा न किए जाने तक छात्रों का आन्दोलन जारी रहेगा। ■

उत्तराखण्ड : छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने लहराया परचम

देहरादून। अभाविप ने छात्रसंघ चुनावों में देहरादून के सभी महाविद्यालयों में अधिकतर पदों पर जीत हासिल कर अन्य छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया।

डीएवी कॉलेज, एसजीजीआर कॉलेज, एमकेपी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज और दकपठार गवर्न्मेंट कॉलेज आदि सभी कॉलेजों में अभाविप के उम्मीदवारों ने विजय हासिल की।

परिषद के अंशुल चावला डीएवी, अंजली गुप्ता एमकेपी और कुलदीप रावत ने डीबीएस कॉलेज के अध्यक्ष पद पर जीतकर परिषद का परचम लहराया। वहीं एमकेपी की दीपिका नेगी ओर डीबीएस के सुजीत थापा ने महासचिव पद पर अपनी जीत सुनिश्चित की।

अभाविप ने डीएवी महाविद्यालय में चौथी बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करते हुए सभी सीटों पर अपना परचम लहराया है।

■

सत्व के प्रकाशतत्व का विकास शिक्षा का ध्येय

'जो शिक्षा केवल जानकारी देने का ही कार्य करती है, उसे शायद ही शिक्षा कह सकते हैं। आजकल की शिक्षा में बालमानस में केवल जानकारियां ही ठूंस-ठूंस कर भरी जाती है। जानकारी के ढ़ेर को बुद्धि का पर्याय माना जाता है।'

-श्रीअरविंद

वर्तमान शिक्षण में बालकों के मस्तिष्क में ठूंस-ठूंसकर भरी गई जानकारियों को तीन घंटे में उत्तरपुस्तिका में उगल देना होता है। जितनी अधिक जानकारी विद्यार्थी दे सकता है, उतना ही उसे बुद्धिमान माना जाता है। श्रीअरविंद की दृष्टि में यह पद्धति अयोग्य है। इससे बालकों पर अत्याचार होता है। उसकी प्रवृत्ति के विरूद्ध जाने का दबाव डाला जाता है। हम बालकों के उद्दाम और उत्कट आवेगों पर जड़ नियम लादकर उसके स्वभाविक विकास को रोक देते हैं। इसके परिणाम से उसकी शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, उसके कोमल मस्तिष्क पर याद रखने का भारी बोझ पड़ जाता है। बाद में बड़ा होने पर बालकों की स्मरणशक्ति मंद हो जाती है। इस कारण कई बार ऐसा भी होता है कि प्राथमिक शाला में पहले नम्बर पर आनेवाला बालक आगे जाकर एकदम सामान्य श्रेणी में आ जाता है।

बालकों को जबरदस्ती, मजबूर करके पूरे समय पढ़ने के लिए बैठाया जाता है जिससे उन्हें पढ़ने में रूचि नहीं होती, उत्साह नहीं होता। वे सब रट डालते हैं, इससे उनकी समझने की शक्ति विकसित नहीं होती है। ज्ञान के प्रति उनमें रुचि पैदा नहीं होती है। जिज्ञासा वृत्ति मंद हो जाती है। उनकी पढ़ाई यंत्रवत और जड़ बन जाती है। जिस कारण उनकी चेतना का विकास नहीं होता है। जाती जानकारियों को नन्हे से मस्तिष्क में संग्रह करने के लिए बालक की बौद्धिक मेहनत बढ़ती जाती है। अभी तो उसके स्थूल मस्तिष्क और मन का पूरा विकास भी नहीं हुआ होता है। और उसे कितना अधिक रट-रटकर याद रखना पड़ता है। इससे उसके मन पर भी भारी दबाव पड़ता है। इसलिए पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं:- 'तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंसी और जीवन भर अनपची रह जाने वाली और त्रासदायी जानकारी का संग्रह शिक्षा नहीं है। जीवन का निर्माण करें, मनुष्य को बलवान बनाएं, उसके चरित्र का विकास करें, ऐसे पठन की आवश्यकता है।' वे आगे कहते हैं, 'शिक्षा का उद्देश्य केवल मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाना ही हो सकता है। मानव के उसके विकास के पथ पर ले जाना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है।'

श्रीअरविन्द भी शिक्षा के ध्येय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं,'शिक्षा का मुख्य ध्येय विकसित होती आत्मा के अन्दर जो कुछ उत्तम है उसे प्रकट करके, उसका उदात्त उपयोग हो, उसके लिए उसे पूर्ण बनाना है।' पृथ्वी पर मनुष्य देह धारण करके आने के पीछे आत्मा का ध्येय विकास करना ही होता है। अनेक जन्मों तक विकास करते-करते आत्मा अंत में अपने मूल स्रोत परमात्मा को मिल जाती है। इसलिए विकास ही जीवन का मुख्य हेतु है और यही शिक्षा का भी हेतु है। मनुष्य के अंदर अनेक सुषुप्त शक्तियां रहती हैं। इन शक्तियों को जागृत करना, विकसित करना और मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाना, यही सच्ची शिक्षा है।

इस शिक्षण में कहीं बाहर से ज्ञान को लादना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो मनुष्य की आत्मा के अंदर ही पड़ा है। शिक्षक को तो केवल उसे जागृत करने का कार्य करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 'मनुष्य में पूर्व में स्थित पूर्णता का प्रकटीकरण अर्थात् शिक्षा।' जो ज्ञान मनुष्य के अंदर ही स्थित है तो उसे फिर शिक्षा द्वारा क्या सिखा सकते हैं? तब फिर शिक्षण का कार्य क्या? शिक्षण का कार्य है- विद्यार्थी के अन्दर स्थित उदात्त तत्वों के प्रकट होने और विकास के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के लिए योग्य वातावरण तैयार करना। इस संदर्भ में श्री अरविंद कहते हैं, 'विद्यार्थी के ज्ञान और चिंतन का महल निर्माण करने वाली वस्तुएं अलग ही हैं और वे हैं स्मृति, निर्णय शक्ति, कल्पना, तत्वदृष्टि और तर्कबुद्धि। इन सब बुद्धि के सर्जकतत्वों को सक्रिय करने के सामग्री उपलब्ध कराना शिक्षा का मुख्य कार्य है।' यह सर्जकतत्व सभी बालकों में सम्पूर्ण प्रकट नहीं होते। उसके पीछे कारण है बालकों की प्रकृत्ति और उन्हें मिला वातावरण। बालकों में तमस होता है, इससे उनमें आलस, प्रमाद औरा शिथिलता आती है। उनका विकास मंद हो जाता है। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, विरक्ति होती है, थकाने लगती है। नहीं पढ़ने के अनेक बहाने वे ढूंढ़ लेते हैं। पर यह बस उनकी प्रकृति में स्थित तमोगुण के कारण हैं। उनमें रजोगुण भी होता है। यदि रजस अधिक प्रमाण में हो तो उनमें ईर्ष्या, आवेग, लोभ, मोह, क्रोध आदि वृत्तियां अधिक होती हैं। इन वृत्तियों के कारण उनके अन्दर का ज्ञान प्रकट नहीं होता। यदि बालक की प्रकृति में सत्वगुण अधिक हो तो उनमें स्थित ज्ञान अपने आप जागृत होता है। सत्वगुण स्वयं ही प्रकाश बनकर ज्ञान चक्षुओं को खोल देता है। ज्ञान चक्षु खुलने से बालक को सब कुछ सहज रूप से समझ में आने लगता है।

हमारे ऋषि-मुनियों को इन तीन गुणवाली मानव प्रकृति का गहरा ज्ञान था। अत: उन्होंने शिक्षा का मुख्य कार्य तमस् का विसर्जन, रजस का नियंत्रण और सत्य का उद्घाटन माना था। गुरु शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देते थे कि यह प्रक्रिया शिष्य में अपने-आप होने लगती थी। सत्वगुण का उदय होते ही शिष्य अपने अन्दर से ही प्रकाश मिलने से ज्ञान प्राप्त कर सकते थे।

श्रीअरविन्द कहते हैं, 'जब मनुष्य में सत्व के प्रकाशतत्व का विकास उच्चकोटि में पहुंचता है, तब उसे सामान्य रूप से या अधिकतर बाहर के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति किसी शिक्षक की, पाठ्यपुस्तक, व्याकरण या शब्दकोष की सहायता लिये बगैर विषय को पूरी तरह या अधिकांश रूप से अपने अंदर ही जान सकता है।' विद्यार्थियों को इस स्तर पर लाने का ध्येय शिक्षा का है।■

भ्रष्टमंडल खेल बना राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न

■ अवनीश सिंह

किसी भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी भी आयोजन का मेजबान बनना कई मायनों में महत्त्वपूर्ण और बहुत हद तक आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होता है। किंतु इसके साथ ही इस मुद्दे के अन्य बहुत से महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है। जिस देश में अब भी सरकार बुनियादी समस्याओं से जूझ रही हो, अपराध, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी जाने कितनी ही मुसीबतें सामने मुंह बाए खड़ी हों, जिस देश को अभी अपने विकास के लिए जाने कितने ही मोर्चों पर संघर्ष करना बाकी हो, जिस देश को आज अपना धन और संसाधन खेल, मनोरंजन आदि से अधिक जरूरी कार्यों पर खर्च करने की जरूरत हो, वह विश्व में सिर्फ अपनी साख बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों की जिम्मेदारी उठाने को तत्पर हो तो आप इसे किस नजरिये से देखेंगे?

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि यह देश के लिए इज्जत का सवाल है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन से राष्ट्र की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है इससे किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ेगा। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भी 64वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में खेलों के आयोजन को देश की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए सभी देशवासियों से अपील की थी कि वे इसे राष्ट्रीय त्योहार की तरह समझें तथा उम्मीद जताई कि आयोजन की सफलता से विश्व में यह संदेश जाएगा कि भारत आत्मविश्वास के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी इस टिप्पणी में न ही राष्ट्रमंडल खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र किया न ही उन विस्थापितों का।

ऐसे में सवाल केवल देश की प्रतिष्ठा का नहीं है, बल्कि इसके साथ देश के लोगों की बढ़ती परेशानियों का प्रश्न भी जुड़ा है। एक ओर बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों का जीना मुहाल है तो दूसरी ओर सरकार राष्ट्रमंडल खेल के बढ़ते बजट को पूरा करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।

साल 2003 में भारत को इन खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में शायद ही कोई पहलू हो जिसकी समय सीमा को लेकर विवाद न उठा हो और खेलों के थीम सॉन्ग को जारी करने को लेकर भी यह दुविधा दिखी है। शुरुआत के साथ ही कार्यक्रम की जैसे हवा निकल गई। वर्तमान स्थिति यहां तक आ पहुची है कि सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग सभी बड़ी कंपनियाँ अपने वायदे से पीछे हटती नज़र आ रही हैं।

अब आयोजन समिति सरकार से मिले करोड़ों रूपए कैसे लौटाएगी? इस सवाल का जवाब फ़िलहाल आयोजन समिति के पास भी नहीं है। लगता है जैसे खेलों के आयोजन से लोगों का विश्वास ही उठता जा रहा है। क्या सरकार का आयोजन सही साबित होगा? क्या भ्रष्टाचार से घिरे राष्ट्रमंडल खेलों ने लोगों का दिल जीता? इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा। ■

विदेशी शिक्षा संस्थानों का आगमन, उनकी आवश्यकता व उभरे हुए मुद्दे

1990 के बाद भारत में वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण की गूंज जोर-से उठनी शुरू हुई। उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। सोच में ही परिवर्तन आने लगा। सबकी शिक्षा का प्रबंध करना यह भारत में समाज का दायित्व माना जाता रहा है तथा वही अपेक्षित भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश उदारीकरण के बाद उसमें बाजार की शक्तियां (Market Forces) हावी होने लगी। उच्च शिक्षा को Market Forces के भरोसे छोड़ने की बात होने लगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा पर व्यय कम करना शुरू किया। बजट में कटौती होने लगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में कटौती होती गयी। उच्च शिक्षा मुहैया कराना यह सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है ऐसी गलत सोच आ गयी। उच्च शिक्षा को निजी संस्थाओं के भरोसे छोड़ा जाने लगा। दूसरी ओर इसी समय उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गयी। उनकी चाह को पूरी करने के लिए सरकारी अनुदानित शिक्षा संस्थाओं की जगह निजी, स्ववित्तपोषित संस्थान खुलने लगे। उन्होंने आज छात्रों को आकर्षित करने के लिए विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया। विदेशी शिक्षाण संस्थाएं भी भारत में उच्च शिक्षा के बढ़ रहे Market में मुनाफा कमाने के लिए आगे आयी। विदेशी शिक्षा संस्थाओं के भारत में आगमन की पृष्ठभूमि रही है।

भारत में आज तक विदेशी विश्वविद्यालयों को कैम्पस खोलने की वैधानिक अनुमति नहीं है। फिर भी लगभग 150 के करीब विदेशी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान अभी तक भारत में आ चुके हैं। National institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), निपा ने भारत में चल रहे विदेशी शिक्षा संस्थानों की जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया और 2005 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट से कुछ तथ्य अधिकारिक तौर पर सामने आये।

1. उद्योग जगत् के लिए और विविध सेवाओं के लिए आवश्यक Manpower तैयार करने के लिए Vocational courses की आवश्यकता बड़ी तेजी से महसूस हो रही थी और यहां के शिक्षा संस्थान Vocational courses शुरू करने में हिचकिचाते रहे। इस कारण निजी संस्थाओं ने विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ ऐसे अभ्यास क्रम शुरू किये।

2. बड़े-बड़े शहरों में ही विदेशी शिक्षा संस्थाएं कार्यरत हैं। यू.के., यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया और फ्रांस की संस्थाएं आज भारत में कार्यरत हैं और न्यूजीलैंड, कनाडा ऐसे कुछ देश भारत की स्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं।

3. MBA और Hotel Management यह 2 कोर्सेस सबसे ज्यादा विदेशी संस्थान चला रहे हैं। यह Vocational courses के बारे में छात्रों में रुझान को दर्शाता है। इस स्थिति का लाभ विदेशी शिक्षा संस्थान उठा रहे हैं। 80 प्रतिशत ये Vocational courses हैं। बाद में तंत्रशिक्षा के पाठ्यक्रम और कुछ सामान्य पाठ्यक्रम आते हैं।

4. विदेशी शिक्षा संस्थान और भारत के निजी संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में एक विशेष बात देखने को मिलती है वह है पाठ्यक्रम के कार्यकाल में लचीलापन, पाठ्यक्रम के विविध अंग चयन करने की छूट, परीक्षा देने का समय निर्धारित करने की छात्रों को छूट, Multiple entry of exit feature। इन्हीं कारणों से छात्र आकर्षित होते हैं।

5. टवीनिंग, फ्रेंचायझी, स्टडी एण्ड एक्सामिनेशन सेंटर्स, मल्टीपल कोलॅबोरेशन और आफ शोअर कैम्पस ऐसे 7 प्रकारों से विदेशी शिक्षा संस्थान आज भारत में कार्यरत हैं।

6. 72 प्रतिशत पाठ्यक्रम 1 से 3 साल के अवधि के है जिसमें 1 लाख से 3 लाख प्रतिवर्ष शैक्षिक शुल्क लिया जाता है।

7. छात्र-अध्यापक का अनुपात 10 से 40 लगभग 70 प्रतिशत पाठ्यक्रमों में रखा गया है। सृजनशील (Innovative) पठन-पाठन प्रक्रिया और बेहतर साधन सुविधा यह प्रमुख बातें आज विदेशी संस्थानों में दिखती है।

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विदेशी शिक्षा संस्थान आज केवल उच्च आर्थिक और उच्च मध्यम वर्ग के समूह की जरूरतों को पूरा कर रहा है। समानता की दृष्टि से यह बात विचार करने योग्य है। गुणवत्ता का प्रमाणीकरण न होना, जो प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं उनको मान्यता न होना, इस कारण से आज छात्र असमंजस में होते है और फर्जी पाठ्यक्रमों के कारण फंसाये जाते है।

अत: एक सक्षम कानून और नियामक संस्था की महती जरूरत अनुभव की जा रही है। यह नियामक संस्था कानून के जरिये भारत में विदेशी शिक्षा संस्थान, विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना, संचालन, मान्यता को परिचालित कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश और परिचालन नियमन) बिल 2010 (The Foreign Educational Institutions : Regulation of Entry and Operations Bill 2010) केंद्रीय मंत्री परिषद ने पारित किया है और यह अब संसद में चर्चा हेतु रखा है। बिल के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं।

1. वर्तमान में कार्यरत और भविष्य में आने वाले विदेशी शिक्षा संस्थान और विदेशी सेवा देने वाले को नियंत्रित करना यह बिल का उद्देश्य है।

2. प्रत्येक विदेशी संस्थान को भारत में यू.जी.सी. या समकक्ष संस्था के साथ पंजीकरण करना पड़ेगा और 50 करोड़ की राशि कार्पस फंड के नाते जमा करनी पड़ेगी। संस्था के कार्यरत होने के बाद मिली अतिरिक्त राशि को वे अपने देश में नहीं ले जा सकेंगे और 75 प्रतिशत राशि को यहीं पर संस्था विकास हेतु निवेश करना पड़ेगा।

3. आवेदक विदेशी संस्था का अपने देश में कम से कम 20 वर्ष का शिक्षा संस्थान चलाने का अनुभव होना जरूरी है। और भारत में पाठ्यक्रम चलाने हेतु आवश्यक धन और अन्य संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए किसी विदेशी विश्वविद्यालय का आवेदन केन्द्र सरकार खारिज कर सकती है।

5. शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा पद्धति तय करने की छूट विदेशी संस्था को मिलेगी।

भारत एक विशाल, विविधता से पूर्ण देश है। इसलिए शिक्षा के नये नये प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। विदेशी शिक्षा संस्थानों का आगमन यह भी एक नया प्रयोग है। लेकिन किसी भी प्रयोग को करते समय भारतीयता का भाव और बाजारीकरण का पूर्ण विरोध यही निकष होने चाहिए। किसी भी प्रयोग से समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को उसका लाभ मिलेगा क्या यही सोचना चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन के इस प्रयोग को भी इसी दृष्टिकोण से परखना चाहिए।

आज भारत से यू.एस.ए. में करीब 1 लाख छात्र और आस्ट्रेलिया समेत अन्य यूरोपीय देशों में और 9 लाख छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। इतने सारे छात्र जो धन शुल्क, आवास और जीवनयापन के लिए वहां खर्च करते हैं उसकी बचत होगी और उसी प्रकार की शिक्षा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आगमन पर उन्हें भारत में ही प्राप्त होगी। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी विश्वविद्यालय के पक्ष में दिया जाता है। विदेशी विश्विद्यालयों के कारण भारतीय शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही कुछ मात्रा में उच्च शिक्षा का विस्तार भी होगा। यह बाते निश्चित ही भारतीय उच्च शिक्षा के लिए लाभदायी होगी।

लेकिन इसके साथ कुछ आशंकाये भी है।

• भारत में ऐतिहासिक कारणों से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन विदेशी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का अमल होगा क्या? अन्यथा सामाजिक समता और अभिसरण प्रभावित होगा। शुल्क निर्धारण पर विदेशी संस्थानों को छूट देना भी गलत है। मुनाफाखोरी बढ़ेगी, मेधावी लेकिन गरीब विद्यार्थी महंगी शिक्षा के कारण वंचित होंगे। अत: उच्च शिक्षा में Social inclusion जैसे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम प्रभावित होंगे। सहभागिता, समानता, सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशिता और सर्व सुलभता आदि शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों का गंभीर ह्रास होगा।

• विदेशी शिक्षा संस्थाओं को पाठ्यक्रम निर्धारण की छूट दी गयी है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाये जाते है। विदेशी संस्थाओं के पाठ्यक्रम उनके देश की जरूरतें पूरी करेंगे तो हमारे लिए लाभ क्या? 'अनुसंधान' किसी भी विश्वविद्यालय की नींव मानी जाती है। लेकिन केवल Vocatioal, Professional पाठ्यक्रम चलाने वाले विदेशी संस्थान 'अनुसंधान' को नजरअंदाज करेंगे।

• प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, छात्र और अध्यापकों के लोकतांत्रिक अधिकार की गारंटी इसके बारे में बिल कुछ नहीं कहता है।

• पूर्व अनुभव से ऐसे लगता है कि निजी विश्वविद्यालय और अभिमत विश्वविद्यालय की तरह ये विदेशी विश्वविद्यालय भी बाजारीकरण का एक नया तरीका बन सकता है। 'विदेशी' शब्द का आकर्षण, गुणवत्ता के वैश्विक मानदंड का बहाना बनाकर शैक्षणिक शुल्क में बढ़ोत्तरी करना, प्रवेश प्रक्रिया पर प्रश्न चिह्न और उनके देश में उस विश्वविद्यालय की साख न होना यहां के छात्रों के लिए शोषण का ही रूप होगा। इससे बाजारीकरण बढ़ेगा।

अत: विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आगमन तभी लाभदायक सिद्ध होगा जब इस कानून में कई संशोधन होंगे।

1. विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति देते समय उनके देश में उनकी ग्रेडिंग को ध्यान में रखा जाए और अपने देश में नामांकन करने वाली संस्था द्वारा उस विदेशी संस्था का accreditation अनिवार्य है।

2. शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विदेशी शिक्षा संस्थाओं का शुल्क तय हो।

3. आरक्षण जैसे सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को अनिवार्य किया जाय।

4. भारतीय अनुभवी और गुणवान शिक्षकों को विदेशी शिक्षा संस्थानों में भर्ती होने पर रोक लगाने हेतु आवश्यक नियमों का निर्माण।

5. विदेशी शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप कानूनन Not for profit घोषित हो।

ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होने की आवश्यकता है। भारत वह देश रहा है जहां भोजन, औषधि और शिक्षा कभी भी व्यापार की वस्तु नहीं स्वीकार की गयी है। शिक्षा के माध्यम से तीन बातें होनी चाहिए। शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति को जीवनयापन की क्षमता देनी चाहिए। अत: हर व्यक्ति को रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। शिक्षा से समाज और देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। याने एक आदर्श व्यक्ति तैयार करना चाहिए।

शिक्षा से व्यक्ति में मूल्य प्रतिपादित होने चाहिए। अत: शिक्षा से एक सम्पन्न, संस्कारित व्यक्ति निर्माण हो और शोषणमुक्त, समतायुक्त समाज उत्पन्न हो। इसमें बाजारीकरण की कोई गुंजाईश नहीं है अत: हमें शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ खड़े होना है। भारत एक विशाल, विविधता से पूर्ण देश है। इसलिए शिक्षा के नये-नये प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। विदेशी शिक्षा संस्थानों का आगमन यह भी एक नया प्रयोग है। लेकिन किसी भी प्रयोग को करते समय भारतीयता का भाव और बाजारीकरण का पूर्ण विरोध यही निकष होने चाहिए। किसी भी प्रयोग से समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को उसका लाभ मिलेगा क्या यही सोचना चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन के इस प्रयोग को भी इसी दृष्टिकोण से परखना चाहिए।

-प्रो. मिलिन्द मराठे
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभाविप
ई-मेल-milindsmarathe@rediffmail.com

शिक्षा का व्यापारीकरण : बौद्धिक नेतृत्व में कमी और पलायन

इस दशक और युग को 'नालेज सोयायटी इरा' की संज्ञा दी गई है। आज वैश्विक स्तर पर ज्ञान आधारित अर्थतंत्र और संवर्द्धन, सूचना तंत्र एवं तकनीकी तंत्र में प्रमुखता की होड़ चल रही है। ज्ञान-पूंजी के आधार पर अर्थसंवर्द्धन, उपक्रम एवं उद्यमों को सुनिश्चित करने की दिशा में विकसित बड़े देश लगे हुए हैं। मुख्य रूप से चीन और अमरीका एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धात्मक दौर के जीत हार के खेल में लगे हैं। दुर्भाग्य से अमरीका का केन्द्र बिन्दु भारत बन रहा है। क्योंकि अमरीका इस दौर में चीन से पिछड़ रहा है। इसलिए लोभ और लालच देकर, व्यक्तिवादी भोग आधारित विकास की मानसिकता तैयार करके भारत के प्रशिक्षित चेतना सम्पन्न अभियांत्रिक, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों के आव्रजन में लगे हैं।

चीन अपने ही देशों में ज्ञान पूंजी विकास में अग्रसर और अमरीका से काफी आगे है।

अमरीका, कनाडा समेत कई देशों के द्वारा भारतीय ज्ञान-पूंजी का आव्रजन का लगातार क्रम जारी है। जिससे भारत की उच्च तकनीकी क्षेत्र, उत्पादन क्षमता एवं मानव संसाधन प्रभावित हो रहा है।

अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक अर्थवेता एवं पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इस पर कई बार चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने भारतीय प्रतिभा से आह्वान किया है कि, भारत के ज्ञान पुंज, भारत में रहकर भारत का विज्ञान, अर्थतंत्र, संचार तंत्र, मानविकी के सम्वर्द्धन में योगदान दें। खासकर उत्पादन, अर्थ सम्वर्द्धन और सेवा क्षेत्र के प्रतिभा प्रशासनिक क्षेत्र का चयन नहीं करें और विदेश जाने से परहेज करें।

भारतीय ज्ञान पुंज के प्रवजन का सीधा लाभ चीन को प्राप्त होता है। चीन ने अपने ज्ञान पुंज के द्वारा सस्ते सामानों का उत्पादन कर भारतीय बाजारों को काले छाए में बांधने का काम प्रारंभ कर दिया है। वैश्विक महाजाल के खुली बाजार व्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था फंसती जा रही है। चीन खुली बाजार व्यवस्था का लाभ उठाने में सफल हो रहा है। भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता चीन को कहीं नहीं मिल रहा है।

शिक्षा में व्यापारीकरण का दंश झेल रहा भारत का युवा ज्ञान पुंज अपने दैविक चेतना के आधार पर, वैश्विक ज्ञान पुंज के क्षेत्र में फिर भी अग्रणी हैं और सफलता प्राप्त कर रहा है।

भारत और चीन द्वारा अपनी-अपनी जनांकिकीय विशिष्टताओं के आधार पर उच्च ज्ञान क्षमता और नवप्रवर्त्तन उद्यमों में दिखायी जा रही आक्रामकता को लेकर अन्य देशों में बहुत बेचैनी दिखाई पड़ रही है। संयुक्त राज्य अमरीका की चिन्ता पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। हाल ही में अमरीकी सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण का प्रतिवेदन आया है। जिसका शीर्षक अपनी भाषा में माना जा सकता है-'उमड़ते तूफान से ऊपर उठकर : बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए अमेरिका को ऊर्जस्वी बना कार्य में जुटाना।' इसमें अनेक संकटों से बचने के लिए कई दूरगामी सिफारिशों द्वारा ज्ञान, श्रम एवं नवसृजना उद्यमों में अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखने के उपाय सुझाए गए हैं।

इस रिपोर्ट के चिन्तास्पद सूचकों के संदर्भ में गौर करना अधिक सार्थक होगा। अमेरिका के चौथी और आठवीं कक्षाओं के एक तिहाई छात्र गणित और विज्ञान में कुशलता की कसौटी तक नहीं पहुंच पाते। बारहवीं के भी छात्र गणित और विज्ञान के 21 देशीय औसत से नीचे ही रह जाते हैं।

वर्ष 2004 में अमरीका में 70,000 इंजीनियरों ने प्रशिक्षण पाया तो चीन में 6,00,000 तथा भारत में 3,50,000 इस योग्यता को अर्जित कर पाए। कहीं न कहीं शिक्षा विविध क्षेत्रों के शोध और विकास व्यय में शिथिलता भी चिन्ता का विषय बन रही है। आज अमरीकी उद्यमी शोध विकास की अपेक्षा अधिक धनराशि का व्यय मुकदमेबाजी और वैश्विक दादागिरी

बनाए रखने में कर रही है।

इन जानकारियों के आधार पर उस समिति ने चार मुख्य सिफारिशें की हैं। यह मानवीय, वित्तीय और ज्ञान पूंजी के आधार पर अमेरिकी समृद्धि की योजना का प्रारूप निर्धारित करेगी। इसमें शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पहली सिफारिश का तो शीर्षक ही '10,000 शिक्षक एक करोड (10 मिलियन) मस्तिष्क' रखा गया है। शेष तीन हैं- शोध बीज की बुआई, उच्च शिक्षा (सर्वश्रेष्ठ के लिए सर्वोत्कृष्ठ) और नव प्रवर्त्तन दर संधारण। इस कार्य योजना में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की अधिक नियुक्तियां विज्ञान में अल्पावधि विशेष पाठ्यक्रमों, शिक्षकों, शोध कर्त्ताओं ओर विद्यार्थियों के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, उदार छात्रवृत्तियां आदि का सहारा लेकर आगे क्षरण को रोकने के उपाय सुझाए गए हैं।

शिक्षा को बाजारू मूल्य का वस्तु बनाने से गरीब-मेधावी छात्रों में कुंठा, संत्रास, नैतिक हीनता बढ़ी है ओर मूल्यों का आदर्श गिरता जा रहा है। जिसके कारण प्रतिभा प्रकाश की दरों में लगातार कमी आती जा रही है। जो उस स्तर तक पहुंच पाते हैं, वे भारत में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान नहीं कर विदेश जाना पसन्द करते हैं।

साथ ही-यह भी कहा गया है कि, नव प्रवर्त्तन के लिए संप्रेरणाओं को सुदृढ़ बनाने, निवेश वातावरण सुधारने तथा बौद्धिक सम्पदा प्रतिरक्षण के साथ पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय की कार्यपद्धति को सुधारने के उपाय भी किए जाने चाहिए।

एक ओर विकसित और सम्पन्न राष्ट्र अमरीका ने इस दिशा में चिंतित होकर बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण का प्रभावी प्रयास प्रारंभ कर दिया है। दूसरी ओर भारत में बौद्धिक सम्पदा का आव्रजन बनाए हुए है।

2008 में भारत, अमरीका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि प्रमुख देशों के अभियांत्रिक प्रशिक्षु वैज्ञानिकों की प्रतिभा क्षमता का आकलन किया गया, जिसमें भारत के आई.आई.टी. के प्रशिक्षित इंजीनियरों ने सर्वाधिक अंक लाकर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर भारतीय प्रतिभा क्षमता का वैश्विक स्तर पर नाम उजागर किया है।

2010 के सर्वेक्षण में पाया गया है- 1,60,000 शिक्षार्थी विविध विषयों की ऊंची पढ़ाई और शोध हेतु स्वनिवेश के माध्यम से विदेश जा रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक लगभग 1 लाख अमरीका जाते हैं। जिसमें 30 प्रतिशत अच्छे शोध करने के कारण वहीं समायोजित हो जाते हैं। ऐसी प्रतिभाओं को भारत सरकार द्वारा उचित प्रबंधन देकर भारत में रोका जाना चाहिए जिससे भारतीय जीवन के विविध क्षेत्रों में विकास दर बढ़ेगी। इन क्षेत्रों में सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला अप्रवासी भारतीय को भी रखा जा सकता है।

ज्ञान पुंज आधारित अर्थ संवर्द्धन, अभियांत्रिकी, संचार तंत्र, चिकित्सकीय तंत्र, उपग्रह मानविकी आदि क्षेत्रों में विश्व के प्रमुख देशों के वैज्ञानिकों को अकेले 30 प्रतिशत भारतीय वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

अमरीका की ओर सदैव देखते रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के संदर्भ में अपना मन्तव्य जुलाई 2010 में आई.आई. टी. कानपुर में मानक डाक्टरीएट की उपाधि प्राप्त करते हुए देते हैं :- 'भारत की आर्थिक स्पर्द्धा क्षमता को बनाए रखने में मस्तष्कीय शक्तियों का भरपूर प्रयोग ही निर्णायक सिद्ध होगा।'

और इसी भावना को एवं अमरीकी सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान आयोग एवं यशपाल समिति का गठन किया। ज्ञान आयोग एवं यशपाल समिति ने कई अच्छे अनुशंसाओं के साथ अपना प्रतिवेदन भी सुपुर्द कर दिया है। ज्ञानोत्पादन संस्थाओ, ज्ञान कोषों की रचना, और ज्ञान एवं विचार प्रसार संप्रेषण आदि विषयों में सुझाव भी दिया है। जिससे भारत की ज्ञान आधारित कुशाग्रता और तीक्ष्ण हो सके।

वास्तव में ज्ञान-आधारित अर्थ तंत्र में दो ही प्रमुख आयाम होते हैं:- अच्छे शोधकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने

के लिए शिक्षा और मानवीय संसाधनों का विकास तथा बौद्धिक सम्पदा संरक्षण और शोध विकास के निमित उचित धन राशि का प्रावधान कर उन शोधकों को ज्ञानोत्पादन क्षेत्रों में लगाए रखने की व्यवस्था करना।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अतिसंवेदनशील वक्तव्य तो देते हैं, लेकिन क्रियान्वयन के पक्षों पर भाव शून्यता देखी जा रही है। भारतीय संसद में उच्चतर शिक्षा से सम्बंधित कई विधेयकों को लाकर शिक्षा में व्यापारीकरण को बढ़ावा देने की और उच्च तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा से हाथ खींचने का प्रयास कर रही है जिससे मनमोहन सिंह जो कथनी-करनी में भेद स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।

जेनेटिक साइंस के रिपोर्ट के आधार पर भारत के छात्र अन्य देशों के अपेक्षाकृत अधिक बौद्धिक चेतना सम्पन्न हैं। जरूरत है इस चेतना प्रतिभा को अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से उजागर करने की। लेकिन भारत-सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान घटते जा रही है।

अपरिभाषित स्ववित्तपोषित संस्थानों, आवश्यक बुनियादी ढांचों से दूर, विदेशी निजी एवं दूरवर्ती विश्वविद्यालय छात्रों के शोषण में अधिक से अधिक बुद्धि लगा रही है, तो बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण और संवर्द्धन कैसे होगा?

ज्ञान-पुंज आधारित आर्थिक संवर्द्धन, विज्ञान तकनीकी क्षेत्रों में बौद्धिक सम्पदा की समृद्धि, वैश्विक स्तरों पर बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता आज भी भारतीय प्रतिभा के पास प्रचुर है। लेकिन आवश्यकता है, आज के बदलते वैश्विक परिवेश में, बढ़ती नयी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर बुनियादी परिवर्तन की, आवश्यकता है सरकारी तंत्रों की मजबूत इच्छा शक्ति की, जरूरत है शुल्क संरचना और गरीब-मेधावी छात्रों के लिए आरक्षण की, आवश्यकता है भारतीय मूल्य आधारित ज्ञान-पुंज सम्वर्द्धन की जिससे राष्ट्रीय भावना का अभ्युदय होगा और बौद्धिक सम्पदा का पलायन रूकेगा, आवश्यकता है कठोर नियमों के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा के प्रवजन को रोकने की, जिससे विश्व को प्रखर नेतृत्व प्रदान करने वाला शिक्षित समर्थ और सशक्त भारत खड़ा हो सके।

ज्ञान सम्पदा के संवर्द्धन के लिए चीन उचित वित्तीय व्यवस्था करता है। बौद्धिक पुंज का संरक्षण करने है, और इस प्रकार के पल..यन या प्रवजन पर कानूनी पाबन्दी लगाकर ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था में वर्चस्व के संघर्ष में चीन आगे है। यही कारण है जो चीन ज्ञान आधारित अर्थतंत्र में, वैश्विक बाजार और विनिमय में आगे बढ़ते जा रहा है एवं भारत में अपने मालों के आपूर्ति के कारण एकाधिकार के षड्यंत्र में वर्चस्वता और विस्तारवादी नीति के सफलता प्राप्त कर रहा है।

फिर भी भारत ज्ञान-पुंज आधारित आर्थिक सम्वर्द्धन के क्षेत्रों में संचार तंत्र, साफ्टवेयर, आटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, उपग्रह, उपरमाणविक आदि क्षेत्रों में कई देशों में सफल नेतृत्व प्रदान कर रहा है।

शिक्षा को बाजारू मूल्य की वस्तु बनाने से गरीब-मेधावी छात्रों में कुंठा, संत्रास, नैतिक हीनता बढ़ी है ओर मूल्यों का आदर्श गिरता जा रहा है। जिसके कारण प्रतिभा प्रकाश की दरों में लगातार कमी आती जा रही है। जो उस स्तर तक पहुंच पाते हैं, वे भारत में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान नहीं कर विदेश जाना पसन्द करते हैं।

इस प्रसंग में लार्ड मैकाले ने 2 फरवरी, 1835 को ब्रिटिश संसद में भाषण दिये थे:- मैंने भारत की चहुमुखी यात्रा की है और मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो, देश में मैंने इतनी सम्पदा देखीहै कि लेकिन कोई भी चोर नहीं है। इतने उच्च नैतिक मूल्य हैं, लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश पर विजय पा सकेंगे, जब तक कि हम इस देश की रीढ़ जो इसकी अध्यात्मिक और सांस्कृतिक थाती है, उसे नहीं तोड़ देते और इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी प्राचीन और पुरातन शिक्षा-पद्धति को बदल दें, जिससे भारतीय यह समझने लगें कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है। वह सब उनके अपने से अच्छा और उत्तम है। इससे वे अपना आत्मसम्मान, अपनी मूल संस्कृति खो देखें और वैसा ही बन जाएगें, जैसा कि उन्हें हम बनाना चाहत हैं-एक वास्तविक दास (औपनिवेशिक) राष्ट्र।

■ **प्रो. राम नरेश सिंह**
पी.जी. सेंटर, सहरसा (बिहार)

चलते-चलते... कुछ

■ सुनील आंबेकर

विवेकानंद के 150 वर्ष

भारत की कई पीढ़ियां जिस पर सतत गर्व करती आयीं, ऐसे स्वामी विवेकानन्द के जन्म को भी 2013 में 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विवेकानंद का जन्म हुआ तब भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। 1857 के लगभग 6 वर्ष बाद उनका बाल्यकाल प्रारंभ हुआ। युवावस्था में आते-आते उन्हें न केवल राजनैतिक दास्यता अपितु मानसिक गुलामी का प्रभाव भारतीय तथा विशेषकर बंगाली समाज में अनुभव में आया होगा। उनकी आध्यात्मिक आंतरिक क्षमता नैसर्गिक रही होगी, परन्तु उनका सामाजिक दृष्टिकोण एवं उनके द्वारा व्यक्त विचारों में उस परिस्थिति से बाहर निकलने के तात्कालिक एवं दूरगामी उपाय हर स्थान पर अनुभव में आते हैं।

अंग्रेजों का प्रभाव बंगाल में 1857 के पूर्व में ही जम गया था तथा अपनी चमक, दुनिया में प्रभाव आदि का सिक्का वे समाज में चला रहे थे। बड़े-बड़े विद्वानों को उन्होंने केवल इसी कार्य में लगाया था कि भारत के लोग जिन प्रतीकों, मान्यताओं, ज्ञान तथा ऐतिहासिक विरासत पर स्वाभिमान रखते हों, उन्हें कुतर्कों द्वारा खंडित करें। इसका पढ़ी लिखी एवं प्रभावी परिवारों से आयी पीढ़ी पर व्यापक परिणाम हो रहा था जिसे अपने बचपन से विवेकानन्द ने अनुभव किया होगा।

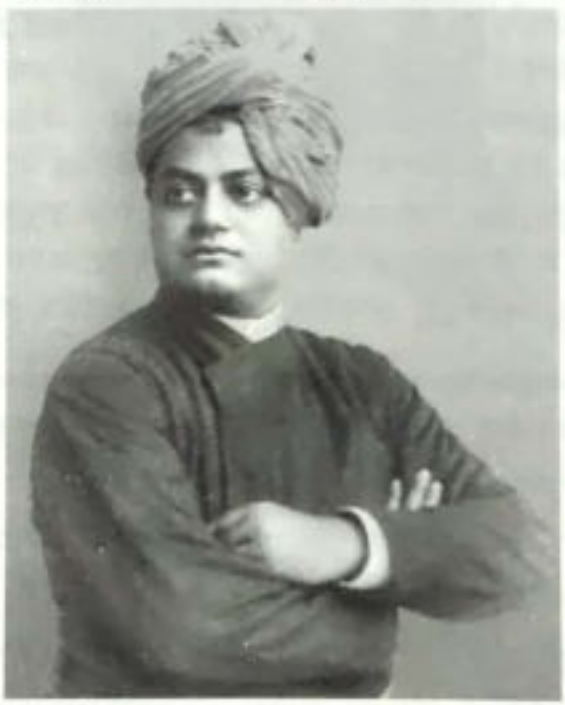

अपनी संस्कृति, परम्पराएं, धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएं सभी बातों पर उस पीढ़ी के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था। यह सच था कि ग्रामों में तथा जो अंग्रेजों या उनकी शिक्षा के सम्पर्क में नहीं थे ऐसे लोग उस प्रभाव से दूर थे। परन्तु वह लोग प्रभावहीन, दुर्बल एवं गरीब बनते जा रहे थे तथा असहाय हो रहे थे। महाविद्यालय में अध्ययनरत नरेन्द्र (विवेकानन्द का पूर्व नाम) के मन में भी कई प्रश्न थे, सामाजिक भेदभाव, विषमता के साथ ही तर्कहीन परम्पराओं के संदर्भ में भी मन में एक गंभीर सामाजिक संवेदना थी। स्वाभाविक ही उनके मन में भी कई प्रश्न-शंकायें थी, परम्परागत बातों को सीधे तौर पर स्वीकार करने में संदेह भी था। परन्तु हिन्दू धर्म की तर्कनिष्ठा एवं भारत मां व उसके पुत्रों के प्रति आत्मीयता, इसमें कोई संदेह नहीं था। यही कारण था कि उनकी देशभक्ति एवं समाज के प्रति आत्मीयता का एक ठोस, निर्णायक स्वरूप सामने आया।

स्वामीजी की यह प्रतिक्रिया सात्विक परंतु सक्रिय, भावनिक परन्तु तर्कनिष्ठ, तथा आध्यात्मिक परंतु सामाजिक उत्थान करने वाली थी।

उनका भारत भ्रमण अपने आत्मीय लोगों से मिलने का कार्यक्रम था। अपनों का सुखदुख जानने की स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे वह सहजता से उसका अनुभव ले रहे थे। उनका दिसम्बर 1892 के अंत में कन्याकुमारी के शिला पर किया चिंतन भारत को भटकने से बचाकर पुनः अपने निर्धारित कार्य के मार्ग पर लाने का महनीय कार्य था।

विवेकानन्द एक ऐसा प्रखर युवक था, जिसने समुद्र

विवेकानंद का कार्य अधूरा रहा। वह समूची पीढ़ी को मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते थे, तथा उनके भरोसे भारत का उत्थान का सपना देखते थे। स्वामी विवेकानंद ने युगप्रवर्तक काम किया था तथा उनसे प्रभावित कई पीढ़ियों के लोगों ने महनीय कार्य किया है, तथा आजतक के आध्यात्मिक एवं लौकिक उत्थान में उनका अतुलनीय योगदान है।

में आये तूफान पर विजय पायी व अपने देश की नाव/किश्ती को बचा लिया।

विवेकानंद के शिकागो की अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद् में हुए भाषण पर स्वीकारोक्ति में ज्यों प्रचंड तालियां बजी, उसकी गूंज भारत के नौजवानों ने सुनी। उनमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई, जिनमें अपने स्वधर्म एवं स्वातंत्र्य की निष्ठा ठूंस-ठूंस कर भरी थी।

परंतु विवेकानंद का कार्य अधूरा रहा। वह समूची पीढ़ी को मानसिक गुलामी से मुक्त करना चाहते थे, तथा उनके भरोसे भारत का उत्थान का सपना देखते थे। स्वामी विवेकानंद ने युगप्रवर्तक काम किया था तथा उनसे प्रभावित कई पीढ़ियों के लोगों ने महनीय कार्य किया है, तथा आजतक के आध्यात्मिक एवं लौकिक उत्थान में उनका अतुलनीय योगदान है।

आधुनिक वैश्वीकरण के विचारों ने भी अंग्रेजों के प्रारंभिक काल जैसा ही तूफान दुनिया में लाया। व्यापार एवं आर्थिक विषय ही दुनिया की संस्कृति हो, ऐसा प्रयास प्रभावी रूप से चला है। इतने वर्षों से चली सांस्कृतिक समझ एवं संस्कार से विमुख शिक्षा पद्धति से जो अधूरी शिक्षा प्राप्त पीढ़ी उत्पन्न हुई, उसने इस वैश्वीकरण को ही भगवान मान लिया। परिणामस्वरूप बीते 20-25 वर्ष से आर्थिक, सामाजिक एवं उत्सवों, नाट्य-सिनेमा आदि विभिन्न विषयों में इस गुलामी मानसिकता का प्रभाव दिख रहा है। जंगल, जमीन, पर्यावरण, पानी, शिक्षा जैसे कितने विषयों की नीतियां इनसे प्रभावित हो रही है।

परंतु समाज का बहुत बड़ा वर्ग इन बातों से आहत भी है। छात्र-युवाओं में काफी बड़ा वर्ग अब अपनी पहचान को समझना चाह रहा है। शायद उसने विवेकानंद के विचारों को नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी भारत के प्रति सोच, उनके विचारों से प्रेरित लग रही है। उनके भारत को एक वैभव सम्पन्न परंतु तर्कनिष्ठ सांस्कृतिक समाज बनाने की आकांक्षा उन्हीं के विचारों से मेल खाती है।

शायद आने वाले 2-3 वर्ष स्वामी विवेकानंद एवं ऐसे विचारों से सक्रिय युवाओं का मजबूत मेल के वर्ष होंगे। विवेकानंद जैसे कुछ ही महापुरुष ऐसे होते हैं, जिनके विचार कई पीढ़ियों के युवाओं को प्रेरित करने की क्षमता रखते हों। भारत के युवा भाग्यशाली हैं कि उनके लिए गर्व करने लायक स्वामी विवेकानंद है।

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं)

बीते 20-25 वर्ष से आर्थिक, सामाजिक एवं उत्सवों, नाट्य-सिनेमा आदि विभिन्न विषयों में इस गुलामी मानसिकता का प्रभाव दिख रहा है। जंगल, जमीन, पर्यावरण, पानी, शिक्षा जैसे कितने विषयों की नीतियां इनसे प्रभावित हो रही है। परंतु समाज का बहुत बड़ा वर्ग इन बातों से आहत भी है। छात्र-युवाओं में काफी बड़ा वर्ग अब अपनी पहचान को समझना चाह रहा है। शायद उसने विवेकानंद के विचारों को नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी भारत के प्रति सोच, उनके विचारों से प्रेरित लग रही है।

श्रद्धा सुमन

भगिनी निवेदिता

भारतीय पुनर्जागरण के उदय व देश की स्वतंत्रता का पथ प्रशस्त करने में महिलाओं की भूमिका सदैव अग्रणी रही है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो देश का स्वतंत्रता संग्राम हो या सीमा-सुरक्षा या राष्ट्रीय आपदा इनसे मुकाबला करने में हमारे देश की महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा है। भारत में आज जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में है, जिन्होंने न केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद की बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भगिनी निवेदिता का भारत से परिचय स्वामी विवेकानन्द के जरिए हुआ। स्वामी विवेकानन्द के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वह इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया बल्कि भारत को अपनी कर्मभूमि भी बनाया।

मार्गरिट एलिजाबेथ नोबेल (भगिनी निवेदिता) का जन्म 28 अक्तूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कला और संगीत का अच्छा ज्ञान हासिल किया। भगिनी निवेदिता के जीवन में निर्णायक मोड़ 1895 में उस समय आया जब लंदन में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। स्वामी विवेकानंद के उदात्त दृष्टिकोण, वीरोचित व्यवहार और स्नेहाकर्षण ने मार्गरिट एलिजाबेथ के मन में यह बात पूरी तरह बिठा दी कि भारत ही उनकी वास्तविक कर्मभूमि है।

एक बार स्वामीजी ने अपने विदेश प्रवास के दौरान भगिनी निवेदिता को अपने देश की स्त्रियों के बारे में बताया और कहा कि वे अशिक्षित हैं और मैं चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। और मुझे लगता है कि तुम इस कार्य को करने में मेरी मदद करोगी। यह सुनकर निवेदिता धन्य हो गई। उन्होंने दृढ़संकल्प किया कि वे भारत जाएँगी और वहाँ की जनता की निःस्वार्थ सेवा करेंगी। वे जनवरी 1898 में भारत आ गईं। यहाँ आकर कलकत्ता के बेलूर आश्रम में रहने लगीं। भारतवासियों की जीवनशैली, उनकी संस्कृति, परंपरा आदि से निवेदिता बेहद प्रभावित हुई।

भगिनी निवेदिता कुछ समय अपने गुरु स्वामी

शेष पृष्ठ 26 पर

एक बार स्वामीजी ने अपने विदेश प्रवास के दौरान भगिनी निवेदिता को अपने देश की स्त्रियों के बारे में बताया और कहा कि वे अशिक्षित हैं और मैं चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। और मुझे लगता है कि तुम इस कार्य को करने में मेरी मदद करोगी। यह सुनकर निवेदिता धन्य हो गई। उन्होंने दृढ़संकल्प किया कि वे भारत जाएँगी और वहाँ की जनता की निःस्वार्थ सेवा करेंगी। वे जनवरी 1898 में भारत आ गईं।

पुस्तक समीक्षा

साम्यवाद के सौ अपराध

यूरोपीय समाज को मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश करने के लिए पुनर्जागरण, धार्मिक सुधारवाद और बुद्धिवाद के क्रम से गुजरना पड़ा था। इनका यूरोपीय समाज पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि कई मायने में उसका वास्तविक रूप ही परिवर्तित हो गया। इसी आधुनिक सभ्यता की कोख से उदारवाद एवं साम्यवाद का जन्म हुआ।

यद्यपि इन दोनों प्रमुख विचारधाराओं को परस्पर प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाना जाता है। कुछ मूलभूत समानताओं के बावजूद इनके बीच कई मतभेद रहे हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति को उदारवाद जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखता है। वहीं दूसरी तरफ साम्यवाद इसे सभी बुराईयों की जड़ के रूप में देखता है। उदारवादी उसके राजनीतिक पक्ष और समाज अवसर के सिद्धांत पर जोर देते हैं, जबकि साम्यवादी उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर।

इन्हीं वैचारिक पृष्ठभूमि के आस-पास लेखक शंकर शरण की पुस्तक (साम्यवाद के सौ अपराध) लिखी गई है। लेखक का मानना है कि साम्यवादी भारत में प्रशासनिक पदों पर प्रभुत्व के बजाय शिक्षा, मीडिया और वैचारिक स्रोतों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। साम्यवाद पर लिखी गई इस पुस्तक को लेखक ने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग में साम्यवादियों के साथ अपराधों का अक्षरश: विवरण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के प्रमुख भाग में लेखक ने लिखा है कि भारतीय समाज के पश्चिमीकरण का जो प्रयास चल रहा है, उसमें साम्यवादी अगली पंक्ति में खड़े दिखते हैं। वे मानते हैं कि साम्यवादियों के अपराधों के सामने फासीवादी भी निर्दोष से दिखने लगते हैं।

वहीं, दूसरे भाग में देश के प्रमुख साम्यवादी नेताओं के जीवन प्रसंगों के माध्यम से उनकी कथनी और करनी में फर्क को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जिससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है।

लेखक ने अपनी पुस्तक के उपसंहार में साम्यवादियों को भारतीय संस्कृति का शत्रु बताते हुए लिखा है कि किसी भी प्रकार से भारत के राज्य एवं समाज पर काबिज होना चाहते हैं। लेखक अपने विचारों के समर्थन में काफी रोचक एवं तथ्यपूर्ण तर्क देता है। पुस्तक में लेखक का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को साम्यवादियों के उस चेहरे से परिचित कराना है, जिसमें वे देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की बात तो कहते हैं, लेकिन पीछे से उसको तबाह करने की योजनाएं बनाते हैं जो न सिर्फ समाज के लिए घातक है बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक कलंक से कम नहीं है। ■

पृष्ठ 25 का शेष

विवेकानंद के साथ भारत भ्रमण करने के बाद अंतत: कलकत्ता में बस गईं। अपने गुरु की प्रेरणा से उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन रामकृष्ण परमहंस की जीवनसंगिनी मां शारदा ने किया था। मां शारदा ने सदैव भगिनी निवेदिता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह दिया और बालिका शिक्षा के उनके प्रयासों को हमेशा प्रोत्साहित किया।

निवेदिता अपने गुरु की प्रेरणा से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उस समय उतरीं जब समाज के संभ्रांत लोग ही अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। ऐसे समाज में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना निवेदिता जैसी जीवट वाली महिला के प्रयासों से ही संभव हो सका। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का समर्थन किया और उन्हें सहयोग दिया। भारत प्रेमी भगिनी निवेदिता दुर्गापूजा की छुट्टियों में भ्रमण के लिए दार्जलिंग गई थीं। लेकिन वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 13 अक्तूबर 1911 को 44 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ■

देश में सुशासन की नयी परिभाषा

मध्यप्रदेश का लोक सेवा प्रदान की गारंटी का कानून

|| प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्
नात्मप्रियं हित राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ||

(अपने नागरिकों की खुशी में ही उसकी खुशी है, लोगों के कल्याण में ही उसका कल्याण। जो कुछ भी उसे संतुष्ट करता है उसे वह अच्छा नहीं मानेगा लेकिन जो कुछ उसके लोगों को संतुष्ट करे, उसे ही वह श्रेष्ठ मानेगा।)

(कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य की धारणा)

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- राज्य की विधानसभा ने इसी मानसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010. जनाधिकार को मान्यता देते हुये सुराज के पथ पर देश के किसी राज्य में पहली बार उठा यह अभिनव कदम।
- लोक प्रशासन में प्रारंभिक रूप से चिंहित 25 सेवाओं जैसे आय, जाति, स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र, खसरे-खतौनी की नकल, राशन कार्ड, बिजली और नल के नए कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इसी प्रकार की अन्य सेवाओं की समय सीमा की जवाबदेही।
- सेवा प्रदान करने में चूक या देरी करने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान। अपील मान्य होने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना। जुर्माने की राशि संबंधित नागरिक को।
- सुराज की धारणा को नई ऊंचाई देने वाले इस कानून को लागू करने के लिये नये लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन।

जनाधिकार में जनता के साथ, **मध्यप्रदेश सरकार**

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आर.एन.आई. नं. 32464/78

राजस्थान प्रदेश के छात्र नेता सम्मेलन को सम्बोधित करते राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री कुमार सुनील एवं उपस्थित प्रतिनिधि

शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में

एक घंटे के लिए थमा शहर

यूनिवर्सिटी और 12 कॉलेजों के बाहर छात्रों ने लगाया जाम, उलझे वाहन गलियों में घुसे तो फंसे

क्यों रोका रास्ता

किया क्या

और असर

छात्रसंघ अध्यक्ष सहित 10 छात्रों पर केस

...और इससे पहले

11:25 बजे